Australian Government
Department of Immigration and Border Protection

ऑस्ट्रेलिया में जीवन

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ और सिद्धांत

कॉपीराइट

© कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2016

Coat of Arms (राज्य-चिन्ह) के अलावा, इस प्रकाशन में शामिल समस्त विषय-वस्तु को Creative Commons Attribution 3.0 Australia लाइसेंस (Creative Commons Licence) के अधीन प्रदान किया गया है।

कॉमनवेल्थ की प्राथमिकता यह है कि आप इस प्रकाशन (और इसे स्रोत बनाकर तैयार किसी भी विषय-वस्तु) को निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करके श्रेय दें: *स्रोत: Creative Commons Attribution 3.0 Australia लाइसेंस के अधीन कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया से लाइसेंस प्राप्त। यह ज़रूरी नहीं है कि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस प्रकाशन में शामिल विषय-वस्तु की पुष्टि करे।*

जिन शर्तों के अधीन Coat of Arms का प्रयोग किया जा सकता है उनका विवरण it's an honour लिंक पर दिया गया है। .

ISBN 978 1 920996 53 6

यह प्रकाशन www.border.gov.au पर भी उपलब्ध है

दुभाषिया चिन्ह (Interpreter Symbol) एक राष्ट्रीय लोक सूचना चिन्ह है जिसे बहुसांस्कृतिक मामलों के विक्टोरियाई कार्यालय (Victorian Office of Multicultural Affairs) द्वारा कॉमनवेल्थ, राज्य एवं टेरेटरी सरकारों द्वारा सहभागिता के साथ तैयार किया गया है। चिन्ह यह दर्शाने का सरल तरीका प्रदान करता है कि अंग्रेज़ी में सीमित निपुणता वाले लोग सरकारी सेवाओं का प्रयोग करते समय भाषाई सहायता के लिए कहाँ निवेदन कर सकते हैं।

आप इस चिन्ह को उन स्थानों पर देख सकते/सकती हैं जहाँ सरकारी और सामुदायिक सूचना और सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जैसेकि सरकारी अस्पताल, पुलिस स्टेशन, सरकारी स्कूल, सामुदायिक केन्द्र, आवास एवं रोज़गार कार्यालय, स्थानीय काउंसिलें और प्रवासी संसाधन केन्द्र।

दुभाषिया चिन्ह की आधिकारिक रूप से शुरुआत मई 2006 में की गई थी।

विषय-सूची

पृष्ठभूमि से सम्बन्धित जानकारी 4

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य 4

प्रविजन्ल वीज़ा आवेदकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य (स्थायी) और परमानेंट (अल्पकालीन)....................5

टेम्परररी वीज़ा (अस्थायी)आवेदकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य 5

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ एवं सिद्धांत...7

मौलिक स्वतंत्रताएँ 7

किसी व्यक्तिविशेष के समान श्रेय-, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए सम्मान 7

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता...7

धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार 8

संघ की स्वतंत्रता...8

संसदीय धर्मनिरपेक्षता और विधिशासन का समर्थन-...8

कानून के अधीन समानता...8

पुरुषों व महिलाओं की समानता...8

अवसर की समानता और समतावाद की भावना 8

शांति 9

साझी मान्यताएँ...9

वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई समाज...9

कानून एवं सामाजिक रीतिरिवाज-..10

चरित्र सम्बन्धी आवश्यकताएँ 10

ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित अधिकार..10

और अधिक जानकारी 11

पृष्ठभूमि से सम्बन्धित जानकारी

यह जानकारी उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया में स्थायी या अस्थायी तौर पर रहने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन कर रहे हैं। यह ऑस्ट्रेलिया, इसके इतिहास, जीवन के तौर-तरीके और हमारे द्वारा बाँटी जाने वाली वाली मान्यताओं का संक्षिप्त विवरण प्रदान करती है।

चयनित वीज़ा के लिए आवेदन करते समय 18 साल और इससे अधिक की आयु वाले आवेदकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं के वक्तव्य पर हस्ताक्षर करें, जिससे यह पुष्टि हो सके कि वे ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का सम्मान करेंगे और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करेंगे।

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं में शामिल हैं:

- किसी व्यक्ति-विशेष के समान श्रेय, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए सम्मान
- अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार
- संघ की स्वतंत्रता
- संसदीय धर्मनिरपेक्षता और विधि-शासन का समर्थन
- कानून के अधीन समानता
- पुरुषों व महिलाओं की समानता
- अवसर की समानता
- शांति
- समतावाद की भावना जो सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और ज़रूरतमंद लोगों के लिए सहानुभूति को अपनाती है।

इन मान्यताओं के अर्थ को बनाए रखते हुए अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। ये मान्यताएँ केवल ऑस्ट्रेलिया के लिए ही विशिष्ट नहीं हैं, परंतु इन्हें व्यापक तौर पर समुदाय की सहमति प्राप्त है और ये ऑस्ट्रेलियाई समाज और संस्कृति को मज़बूत करती हैं।

मान्यता वक्तव्य को को एक सवाल या फिर घोषणा के भाग के तौर पर अधिकांश वीज़ा आवेदकों के साथ शामिल किया जाता है।

आवेदन प्रपत्र पर मान्यता वक्तव्य सवाल पर हस्ताक्षर करने से पहले; प्रविज़न्ल, परमानेंट और कुछ टेम्परारी वीज़ा के सभी आवेदकों के लिए यह ज़रूरी है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रदान की गई मान्यताओं से सम्बन्धित जानकारी को पढ़ा हो, या उन्हें ये समझाई गई हों। नीचे दी गई जानकारी वीज़ा आवेदकों को अपने वीज़ा आवेदन पर दी गई मान्यता वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से पहले ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं को समझने में मदद करने के लिए तैयार की गई है।

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य

प्रविज़न्ल, परमानेंट और कुछ टेम्परारी वीज़ा के सभी आवेदकों के लिए यह ज़रूरी है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया में जीवन से सम्बन्धित उपलब्ध कराई सामग्री को पढ़ा हो, या उन्हें ये समझाई गई हो। आवेदकों को यह समझने के लिए भी कहा जाता है कि यदि वे बाद में ऑस्ट्रेलियाई सिटिजनशिप के लिए आवेदन करते हैं तो उनके लिए क्या ज़रूरी हो सकता है। इस वक्तव्य को प्रभावित वीज़ा आवेदन प्रपत्रों में शामिल किया जाता है और 18 साल या इससे अधिक की आयु वाले सभी आवेदकों के लिए यह ज़रूरी है कि वे वक्तव्य पर हस्ताक्षर करें।

प्रविजन्ल (अल्पकालीन) और परमानेंट (स्थायी) वीज़ा आवेदकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य

यदि आपकी आयु 18 साल या इससे अधिक है तो आपको इस वक्तव्य पर अवश्य ही हस्ताक्षर करने चाहिए।

मैं यह पुष्टि करता/करती हूँ कि मैंने ऑस्ट्रेलियाई समाज और मान्यताओं से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी पढ़ ली है, या यह मुझे समझा दी गई है।

मैं समझता/समझती हूँ कि:

- *ऑस्ट्रेलियाई समाज व्यक्ति-विशेष की स्वतंत्रता और गरिमा के लिए सम्मान, धर्म की स्वतंत्रता, विधि-शासन के प्रति वचनबद्धता, संसदीय लोकतंत्र, पुरुषों व महिलाओं की समानता और सहिष्णुता, परस्पर सम्मान और ज़रूरतमंदों के लिए सहानुभूति को अपनाने वाली समतावाद की भावना और जनता की भलाई के लक्ष्य को मान्यता देता है*
- *ऑस्ट्रेलियाई समाज जाति, धर्म या जातीय पृष्ठभूमि पर ध्यान दिए बिना व्यक्ति-विशेष के लिए अवसर की समानता को मान्यता देता है*
- *राष्ट्रीय भाषा के तौर पर अंग्रेज़ी भाषा ऑस्ट्रेलियाई समाज का एकीकरण करने वाला महत्वपूर्ण अंश है।*

मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास काल के दौरान ऑस्ट्रेलियाई समाज की इन मान्यताओं का सम्मान करने और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करने की जिम्मेदारी लेता/लेती हूँ।

मैं समझता/समझती हूँ कि, यदि मैं ऑस्ट्रेलियाई सिटिजन बनने का प्रयास करता/करती हूँ तो:

- *ऑस्ट्रेलियाई सिटिजनशिप एक सांझी पहचान, एक सांझा बन्धन है जो सभी ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को उनकी विविधता का सम्मान करते हुए एकजुट करता है।*
- *ऑस्ट्रेलियाई सिटिजनशिप में पारस्परिक अधिकार और उत्तरदायित्व शामिल हैं। ऑस्ट्रेलियाई सिटिजनशिप की जिम्मेदारियों में ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का पालन करना शामिल है, इन कानूनों में चुनाव के समय मतदान करने और ज्यूरी में सेवा करने से सम्बन्धित कानून शामिल हैं।*

यदि मैं ऑस्ट्रेलियाई सिटिजन बनने के लिए ज़रूरी कानूनी योग्यताओं को पूरा करता/करती हूँ और मेरे आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तो मैं यह समझता/समझती हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलिया और इसके लोगों के प्रति वफादारी की प्रतिज्ञा लेनी होगी।

इंटरनेट आवेदनों के लिए, मुख्य वीज़ा आवेदक को मान्यता वक्तव्य के लिए 'हाँ' या 'नहीं' दर्शाने के लिए एक बटन का चयन करने के लिए कहा जाएगा। यदि आवेदन में 18 साल या इससे अधिक की आयु के डिपेन्डेंट्स शामिल हैं, तो वक्तव्य में एक अतिरिक्त पैराग्राफ शामिल है जो निम्नलिखित है:

18 साल या इससे अधिक के आयु के इस आवेदन में शामिल सभी अन्य लोगों ने मुझे यह सूचित किया है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई समाज और मान्यताओं से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी को पढ़ लिया है, या उन्हें यह समझा दी गई है और वे उपरोक्त वक्तव्य से सहमत हैं।

इन परिस्थितियों में आवेदक अपनी ओर से और अपने डिपेन्डेंट्स की ओर से वक्तव्य कर रहा है।

टेम्परेरी (अस्थायी) वीज़ा आवेदकों के लिए ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का वक्तव्य

प्रभावित टेम्परेरी वीज़ा के आवेदकों को भी ऑस्ट्रेलियाई मान्यता वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने चाहिए। इनके वक्तव्य को आवेदन के सामान्य घोषणा अनुभाग में शामिल किया जाता है, इसलिए आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का अर्थ है कि मान्यता वक्तव्य पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इन आवेदकों के लिए इस सूचना को पढ़ना ज़रूरी नहीं होगा, परन्तु वे अपनी इच्छानुसार इसे पढ़ सकते हैं।

निम्नलिखित ऑस्ट्रेलियाई मान्यता वक्तव्य को अधिकांश टेम्परेरी वीज़ा आवेदन प्रपत्रों में शामिल किया जाता है:

मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास काल के दौरान इस प्रपत्र पर सूचित ऑस्ट्रेलियाई मान्यताओं का सम्मान करूँगा/करूँगी और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी।

इंटरनेट आवेदनों के लिए वक्तव्य थोड़ा अलग है:

मैं ऑस्ट्रेलिया में अपने निवास काल के दौरान इस आवेदन की शुरुआत में सूचीबद्ध मान्यताओं का सम्मान करूँगा/करूँगी और ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करूँगा/करूँगी।

उन इंटरनेट आवेदनों के लिए जहाँ 18 साल या इससे अधिक की आयु के आश्रित व्यक्ति हों, वक्तव्य में एक अतिरिक्त अनुच्छेद शामिल है जो निम्नलिखित है:

इस आवेदन में शामिल 18 साल या इससे अधिक की आयु के अन्य सभी व्यक्तियों ने मुझे यह सूचित किया है कि वे भी इस आवश्यकता से सहमत हैं।

आवेदकों को अपनी ओर से और किन्हीं आश्रित व्यक्तियों (यदि लागू हो तो) की ओर से मान्यता वक्तव्य घोषणा पर 'हाँ' या 'नहीं' दर्शाने के लिए एक बटन का चयन करने के लिए कहा जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई मान्यताएँ एवं सिद्धांत

विशिष्ट विषयों से सम्बन्धित और अधिक जानकारी के लिए प्रासंगिक वेबसाइटें और अन्य सूचीबद्ध स्रोत देखें।

यद्यपि ये मान्यताएँ और सिद्धांत कई अन्य देशों द्वारा साझा किए जाते हैं, परंतु इन्हें विश्व भर के लाखों लोगों के ऑस्ट्रेलिया में बसने के द्वारा ऑस्ट्रेलिया के अद्वितीय परिसर के अनुरूप ढाला गया है और इसके अनुसार इन्हें आकार दिया गया है तथा आधुनिक बनाया गया है। हालाँकि इन्हें अलग-अलग लोगों द्वारा अलग-अलग तरीके से व्यक्त किया जा सकता है, परंतु इनका अर्थ वही रहता है।

ऑस्ट्रेलिया के सबसे पहले निवासी एबोरिजिनल (आदिवासी) और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग थे, जिनकी अनूठी संस्कृति और परंपराएँ दुनिया में सबसे पुरानी हैं। सर्वप्रथम आप्रवासी ज़यादातर ब्रिटेन और आयरलैंड से थे और इस एंग्लो-केल्टिक विरासत का ऑस्ट्रेलिया के इतिहास, संस्कृति और राजनीतिक परंपराओं पर एक महत्वपूर्ण और सतत प्रभाव रहा है। इसके बाद हुई आप्रवास की घटनाओं में अफ्रीका, एशिया, अमरीका और यूरोप से लोग ऑस्ट्रेलिया आए, तथा इन सभी ने ऑस्ट्रेलिया और इसकी जीवन-शैली में अपने अलग-अलग अद्वितीय योगदान दिए हैं।

साझी मान्यताओं और सिद्धांतों के इस वक्तव्य का प्रयोजन सभी को समान विचारधाराओं के साथ समान बनाना नहीं है। इसका लक्ष्य नए निवासियों को बुनियादी मान्यताएँ समझाना है जिसने एक ऐसे समाज का निर्माण करने में मदद की है जो सुस्थिर है परन्तु साथ ही गतिशील; संसक्त और विविध भी है।

ऑस्ट्रेलिया में लोगों को कई तरह की स्वतंत्रताएँ उपलब्ध हैं। परन्तु इन स्वतंत्रताओं का लाभ उठाने के लिए हर किसी के लिए यह आवश्यक है कि वह ऑस्ट्रेलिया के कानूनों का पालन करे, जिन्हें एक व्यवस्थित, स्वतंत्र और सुरक्षित समाज को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारों द्वारा स्थापित किया गया है।

मौलिक स्वतंत्रताएँ

सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग कई मौलिक स्वतंत्रताओं के पात्र होते हैं (कानून की सीमा के तहत), इसमें स्वतंत्र रूप से और खुले तौर पर अपनी बात कहना, संस्थाओं के साथ जुड़ना, बैठकों का आयोजन करना, अपनी पसंद के धर्म का अनुसरण करना और बिना किसी प्रतिबंध के पूरे ऑस्ट्रेलिया-भर में आना-जाना शामिल है।

किसी व्यक्ति-विशेष के समान श्रेय, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए सम्मान

सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग स्वतंत्र और समान हैं और यह उम्मीद की जाती है कि वे एक दूसरे के साथ गरिमा और सम्मान से बर्ताव करें। ऑस्ट्रेलियाई लोग हमारे समाज में मतभिन्नता को सुलझाने के लिए हिंसा, डराने-धमकाने या अपमान करने के प्रयोग को अस्वीकार करते हैं।

कॉमनवेल्थ के कानून *Racial Discrimination Act 1975 (जाति भेदभाव अधिनियम 1975), Sex Discrimination Act 1984 (लैंगिक भेदभाव अधिनियम 1984), Disability Discrimination Act 1992 (विकलांगता भेदभाव अधिनियम 1992) और Age Discrimination Act 2004 (आयु भेदभाव अधिनियम 2004)* के अधीन सार्वजनिक जीवन के क्षेत्रों में जाति, लिंग, विकलांगता और आयु के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाते हैं। ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग इन कानूनों के अधीन की गई शिकायतों का निपटान करने के लिए जिम्मेदार है।

देखें: Australian Human Rights Commission

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को कानून की सीमाओं के तहत यह कहने या लिखने की स्वतंत्रता है कि वे ऑस्ट्रेलियाई सरकारों या किसी अन्य विषय या सामाजिक मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं, बशर्ते कि ऐसा करके वे लोगों के लिए खतरा पैदा नहीं करते हैं या झूठे आरोप नहीं लगाते हैं या अन्य लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं पहुँचाते हैं।

यह बात ऑस्ट्रेलियाई समाचार-पत्रों, रेडियो और टेलीविज़न और अन्य प्रकार के मीडिया पर भी लागू होती है। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सरकार के कार्यों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने और कानून बदलने के लिए अभियान चलाने की स्वतंत्रता प्राप्त है।

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोगों को स्वयं को व्यक्त करने और विचारों पर चर्चा करने हेतु सक्षम बनाती है। झूठी सूचना या चालबाज़ी के विरुद्ध किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को बचाने के लिए कानून मौजूद हैं। दूसरों की संस्कृति, जाति या पृष्ठभूमि के कारण उनके प्रति घृणा को भड़काने के विरुद्ध भी कानून मौजूद हैं।

धर्म की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्ष सरकार

सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी पसंद के किसी भी धर्म का अनुसरण करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, बशर्ते कि उस धर्म की प्रथाएँ ऑस्ट्रेलियाई कानून का उल्लंघन न करती हों। ऑस्ट्रेलियाई लोगों को इस बात की स्वतंत्रता भी प्राप्त है कि वे किसी भी धर्म का पालन न करें। ऑस्ट्रेलियाई समाज में धार्मिक असहिष्णुता को स्वीकार नहीं किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में एक धर्मनिरपेक्ष सरकार है – इसका कोई आधिकारिक या राजकीय धर्म नहीं है। सरकारें सभी नागरिकों के साथ उनके धर्म पर ध्यान दिए बिना समान रूप से बर्ताव करती हैं।

धार्मिक कानूनों को ऑस्ट्रेलिया में कोई कानूनी दर्जा प्राप्त नहीं है और केवल संसद द्वारा अभिनीत कानून ही लागू होते हैं, उदाहरणत: तलाक के मामलों में। द्विविवाह (एक ही समय में एक से अधिक व्यक्ति से विवाहित होने) जैसी कुछ धार्मिक या सांस्कृतिक प्रथाएँ ऑस्ट्रेलिया में गैर-कानूनी हैं।

संघ की स्वतंत्रता

कानून के तहत, ऑस्ट्रेलियाई लोगों को सरकार या किसी अन्य संस्था के विरुद्ध इकट्ठे होने और विरोध प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, बशर्ते कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण हो और इससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान या चोट न पहुँचती हो। संघ बनाने की स्वतंत्रता में किसी संस्था या समूह के साथ जुड़ना या न जुड़ना भी शामिल है, बशर्ते कि ऐसा करना वैध हो। इन संस्थाओं और समूहों में राजनैतिक पक्ष, ट्रेड यूनियन और सामाजिक समूह शामिल हैं।

संसदीय धर्मनिरपेक्षता और विधि-शासन का समर्थन

ऑस्ट्रेलिया एक संसदीय लोकतंत्र है, जिसका अर्थ यह है कि ऑस्ट्रेलियाई नागरिक इसमें भाग लेते हैं कि देश का संचालन और ऑस्ट्रेलियाई समाज का प्रतिनिधित्व कैसे हो। सरकारें सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों के प्रति उत्तरदायी होती हैं। निर्वाचित संसदें ही केवल वे निकाय होते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में कानून बना सकते हैं या कानून बनाने का अधिकार किसी को दे सकते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में हर किसी को सरकारों द्वारा बनाए कानूनों का पालन करना चाहिए। इसी प्रकार, सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग विधि-शासन द्वारा सुरक्षित हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी को भी इन कानूनों से छूट प्राप्त नहीं है या कोई भी 'कानून से ऊपर' नहीं है, भले ही वे प्राधिकार रखने वाले पदों पर मौजूद लोग हों, जैसे कि राजनेता या पुलिस।

कानून के अधीन समानता

कानून के तहत सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग समान हैं। इसका अर्थ यह है कि नस्ल, जातीयता या मूल देश के कारण; अपनी आयु, लिंग, वैवाहिक स्थिति या विकलांगता के कारण; या अपनी राजनैतिक या धार्मिक विचारधाराओं के कारण किसी से भी अलग तरीके से बर्ताव नहीं किया जाना चाहिए। सरकारी संस्थाओं और स्वतंत्र न्यायालयों को हर किसी के साथ निष्पक्ष रूप से व्यवहार करना चाहिए।

समान रूप से बर्ताव किए जाने का यह अर्थ है कि नौकरी मिलना या पदोन्नति होना किसी व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और उसके अनुभव के आधार पर होना चाहिए, न कि उसकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि या राजनैतिक विचारधारा के आधार पर। इसका अर्थ यह भी है कि अपनी जाति, रंग, धर्म, लिंग या वैवाहिक स्थिति के कारण लोगों को किसी दुकान या होटल या अन्य सेवा केन्द्र में सेवा प्रदान किए जाने से मना नहीं किया जाना चाहिए।

पुरुषों व महिलाओं की समानता

ऑस्ट्रेलिया में पुरुषों और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हैं। महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए नौकरियाँ और व्यवसाय समान रूप से उपलब्ध हैं। पुरुष और महिलाएँ सेना में नौकरी कर सकते/सकती हैं और दोनों ही सरकारी पदों पर भी काम कर सकते/सकती हैं।

अवसर की समानता और समतावाद की भावना

ऑस्ट्रेलियाई लोग अवसर की समानता को महत्त्व देते हैं और इसे अक्सर 'fair go (फेयर गो)' कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि जीवन में किसी व्यक्ति द्वारा हासिल की जाने वाली उपलब्धि उसकी प्रतिभाओं, उसके काम और प्रयास के फलस्वरूप होनी चाहिए, न कि पक्षपात या इस बात के कारण कि उसका जन्म कैसे घर में हुआ है।

ऑस्ट्रेलियाई लोगों में समतावाद की भावना होती है जो परस्पर सम्मान, सहिष्णुता और निष्पक्ष व्यवहार को अपनाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि हर कोई समान है या हर किसी के पास बराबर धन-दौलत या संपत्ति है। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि ऑस्ट्रेलियाई समाज में कोई औपचारिक वर्ग भेद नहीं है।

शांति

ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने शांतिपूर्ण समाज पर गर्व महसूस करते हैं। उनका मानना है कि चर्चा, शांतिपूर्ण प्रबोधन और लोकतंत्रीय प्रक्रिया के माध्यम से बदलाव लाना चाहिए। वे लोगों की राय बदलने या कानून बदलने के लिए हिंसा को माध्यम बनाने के खिलाफ हैं।

इन मान्यताओं के अतिरिक्त, ऑस्ट्रेलियाई लोग जनहित का अनुसरण करते हैं और उनमें ज़रूरतमंदों के प्रति सहानुभूति होती है। ऑस्ट्रेलिया में सामुदायिक भावना प्रबल है और ऑस्ट्रेलियाई लोग उस समाज को सुधारने और बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं।

कई ऑस्ट्रेलियाई लोग अपने रोज़मर्रा के जीवन में समुदाय के लिए योगदान देते हैं। हो सकता है कि वे पर्यावरण की देख-रेख करके, जनहित में ज़रूरत के समय मदद करके और एक साथ काम करके इसका प्रदर्शन करें।

ऑस्ट्रेलिया में 'mateship (मित्रता – मेटशिप)' की प्रबल परंपरा है, जहाँ लोग अपनी इच्छा से दूसरों की मदद करते हैं, विशेषकर कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले लोगों की। मेट अक्सर एक मित्र होता है, परन्तु पति-पत्नी, जीवनसाथी, भाई, बहन, बेटी या बेटा भी मेट हो सकता है। कोई बिल्कुल अजनबी व्यक्ति भी मेट हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया में समाज सेवा और स्वयंसेवी काम की भी प्रबल परंपरा है।

ऑस्ट्रेलियाई लोग उपरोक्त दर्शाई गई मान्यताओं का प्रसार और इनकी चर्चा कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इन मान्यताओं से ऑस्ट्रेलिया को कई जातीय समूहों और सांस्कृतिक परंपराओं से सम्बन्धित लाखों लोगों का सफलतापूर्वक स्वागत करने और इन्हें एकजुट करने में मदद मिली है।

ऑस्ट्रेलिया की सांस्कृतिक विविधता एक क्षमता है जिससे गतिशील समाज का निर्माण होता है। ऑस्ट्रेलियाई कानूनों की रूप-रेखा के अधीन सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी संस्कृति और विचारधाराओं को व्यक्त करने का अधिकार है।

पर साथ ही सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों से ऑस्ट्रेलिया – इसके कानूनों, इसकी मान्यताओं और इसके लोगों - के प्रति अधिभावी वचनबद्धता रखने का निवेदन किया जाता है।

साझी मान्यताएँ

हालाँकि ऑस्ट्रेलिया के प्रवासी कई अलग-अलग सांस्कृतिक और धार्मिक पृष्ठभूमियों से आए हैं, परन्तु उन्होंने सफलतापूर्वक ऑस्ट्रेलिया में खुद को बसाया है और वे व्यापक समुदाय में सफलतापूर्वक घुल-मिल गए हैं। इसके परिणामस्वरूप ऑस्ट्रेलिया इनके द्वारा सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर दिए गए योगदानों से अधिक समृद्ध हुआ है।

वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता केवल इसके लोगों की सांस्कृतिक विविधता ही नहीं है, बल्कि वह सीमा है जिस तक इसके लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रति अधिभावी और एकीकृत वचनबद्धता द्वारा एकजुट हैं। ऑस्ट्रेलियाई लोग पड़ोसियों के रूप में एक साथ रहने के हित में अपने व्यक्तिगत अंतर अलग रखते हैं।

ऑस्ट्रेलिया के कानूनों की रूप-रेखा के अधीन, सभी ऑस्ट्रेलियाई लोगों को अपनी संस्कृति और विचारधारा को व्यक्त करने और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने का अधिकार है। साथ ही, सभी लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे प्रस्तावना में दर्शाए गए ऑस्ट्रेलियाई जीवन-शैली का समर्थन करने वाले सिद्धांतों और साझी मान्यताओं को कायम रखें।

वर्तमान ऑस्ट्रेलियाई समाज

वर्तमान में ऑस्ट्रेलियाई समाज की निर्धारक विशिष्टताओं में से एक विशिष्टता इसके लोगों की सांस्कृतिक विविधता और वह सीमा है जिस तक इसके लोग ऑस्ट्रेलिया के प्रति अधिभावी और एकीकृत वचनबद्धता द्वारा एकजुट हैं।

दूसरी निर्धारक विशिष्टता ऑस्ट्रेलियाई समाज की समतावाद की प्रवृत्ति है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हर कोई एक समान है या सबके पास समान धन-दौलत या संपत्ति है। इसका अर्थ यह भी है कि उच्च-स्तरीय संपर्कों या प्रभावशाली संरक्षकों के बिना लोग कड़े परिश्रम और प्रतिबद्धता के साथ कामयाबी प्राप्त कर सकते हैं।

ऑस्ट्रेलियाई कानूनों की रूप-रेखा के अंतर्गत, सभी ऑस्ट्रेलियाई लोग अपनी संस्कृति और विचारधाराओं को व्यक्त करने और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय जीवन में स्वतंत्र रूप से भाग लेने में सक्षम होते हैं। ऑस्ट्रेलिया इस विचार को दृढ़तापूर्वक मानता है कि किसी के साथ भी उसके जन्म के देश, उसकी सांस्कृतिक विरासत, भाषा, लिंग या धार्मिक विचारधारा के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

एक सुस्थिर, शांत एवं समृद्ध समुदाय को बनाए रखने के लिए, सभी पृष्ठभूमियों से सम्बन्धित ऑस्ट्रेलियाई लोगों से यह उम्मीद की जाती है कि वे ऑस्ट्रेलियाई समाज को मजबूत बनाने वाले साझे सिद्धांतों और साझी मान्यताओं को कायम रखें।

कानून एवं सामाजिक रीति-रिवाज

ऑस्ट्रेलिया में सामुदायिक व्यवहार औपचारिक कानूनों और अनौपचारिक सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा नियंत्रित होता है।

ऑस्ट्रेलिया में सभी लोगों को देश के कानूनों का पालन करना चाहिए, अन्यथा उनपर आपराधिक और नागरिक मुकदमे चलाए जा सकते हैं। लोगों से यह उम्मीद भी की जाती है कि वे सामान्यत: ऑस्ट्रेलियाई सामाजिक रीति-रिवाजों, प्रथाओं और अभ्यासों का पालन करें, हालाँकि ये आम-तौर पर कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है।

ऑस्ट्रेलियाई कानून ऑस्ट्रेलियाई कॉमनवेल्थ, राज्य एवं टेरेटरी की संसदों द्वारा बनाए जाते हैं। पुलिस का यह कर्तव्य है कि वे समुदाय में शांति और व्यवस्था बनाए रखे और उनके अनुसार कानून का उल्लंघन करने वाले लोगों को कानूनी न्यायालयों में पेश करे। संकट की स्थिति में स्थानीय समुदायों और आस-पड़ोस के लोग भी एक दूसरे की मदद करते हैं और किसी असामान्य या संदिग्ध वस्तु की सूचना स्थानीय पुलिस स्टेशन को देते हैं।

ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय पुलिस दल मौजूद है जिसे ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस कहा जाता है, जो नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध अप्रवास, राष्ट्रीय सुरक्षा के खिलाफ किए गए अपराधों और पर्यावरण के खिलाफ किए गए अपराधों सहित फेडरल कानूनों के खिलाफ किए गए अपराधों की जाँच करती है। ऑस्ट्रेलिया के सभी राज्यों और नॉर्दर्न टेरेटरी के अपने-अपने पुलिस दल हैं, जो राज्य या टेरेटरी के कानूनों के अधीन हुए अपराधों से निपटते हैं। ऑस्ट्रेलियाई केपिटल टेरेटरी मे पुलिस का काम ऑस्ट्रेलियाई फेडरल पुलिस संभालती है।

हालाँकि पुलिस अधिकारी लोगों को गिरफ्तार कर सकते हैं और न्यायालय में प्रमाण दे सकते हैं, पर वे इस बात से सम्बन्धित अंतिम निर्णय नहीं लेते हैं कि क्या लोग अपराध के दोषी हैं या नहीं। इसका फैसला न्यायालयों द्वारा किया जाता है।

ऑस्ट्रेलिया में पुलिस और समुदाय के बीच एक अच्छा संबंध है। आप अपराधों की सूचना दे सकते/सकती हैं और पुलिस से सहायता ले सकते/सकती हैं। यदि पुलिस आपसे सवालात करती है, तो शांत रहें, विनम्र रहें और सहयोग करें।

चरित्र सम्बन्धी आवश्यकताएँ

ऑस्ट्रेलियाई समुदाय यह उम्मीद करता है कि सभी वीज़ा धारक ऑस्ट्रेलियाई कानूनों का पालन करें और अपने वीज़ा की चरित्र सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूरा करना जारी रखें। यदि किसी व्यक्ति को अपराधी ठहराया गया हो, ऐसा माना जाता हो कि उसके किसी आपराधिक संगठन के साथ संबंध हैं जैसे कि आउटलॉ मोटरसाइकल गैंग या आतंकवादी समूह, या जिससे ऑस्ट्रेलियाई समुदाय या ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के किसी व्यक्ति-विशेष को खतरा हो, उसका वीज़ा रद्द किया आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति का वीज़ा भी रद्द किया जा सकता है जिससे ऑस्ट्रेलियाई समुदाय के स्वास्थ्य, इसकी सुरक्षा और अच्छी स्थिति को खतरा हो।

यदि किसी व्यक्ति का वीज़ा रद्द किया जाता है तो उसे हिरासत में लिया जा सकता है और ऑस्ट्रेलिया से निष्कासित किया जा सकता है। अधिकांश मामलों में उसका स्थायी तौर पर ऑस्ट्रेलिया वापस आना भी वर्जित कर दिया जाता है।

ऑस्ट्रेलियाई कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित अधिकार

स्पॉन्सर्ड और नॉन-स्पॉन्सर्ड वीज़ा धारकों, दोनों सहित ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाले लोगों के पास कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित अधिकार और संरक्षण हैं। इन्हें किसी कांट्रेक्ट के फलस्वरूप छीना नहीं जा सकता है।

न्यूनतम वेतन दरें और कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित शर्तें ऑस्ट्रेलियाई कानून द्वारा निर्धारित की जाती हैं।

ऑस्ट्रेलियाई फेयर वर्क ओम्बड्समैन का वीज़ा होल्डर्स और माइग्रेंट्स वेबपेज आपके काम करना शुरू करने से पहले आपके जानने हेतु आवश्यक जानकारी, वेतन दरों, अवकाश के प्रबंधों और कर्मचारी पात्रताओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करता है।

देखें: Visa holders & migrants

फेयर वर्क ओम्बड्समैन कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित आपके अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में आपको अधिक जानकारी दे सकता है, और इनके पास कार्यक्षेत्र से जुड़ी अनुवादित जानकारी अलग-अलग भाषाओं में उपलब्ध है।

देखें: Fair Work Ombudsman

और अधिक जानकारी

अवस्थापन महत्त्वपूर्ण होता है:

जानकारी Department of Social Services (DSS) वेबसाइट पर उपलब्ध है।

Beginning a Life in Australia पुस्तिका Department of Social Services (सामाजिक सेवा विभाग) की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है (यह अंग्रेज़ी और 37 अन्य भाषाओं में उपलब्ध है)

अधिकांश टेम्परेरी वीज़ा आवेदकों के लिए, मान्यता वक्तव्य उनके आवेदन प्रपत्र पर सामान्य घोषणा अनुभाग में शामिल होता है।

वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के बाहर से मानवतावादी (ह्यूमनटेरियन) वीज़ा के लिए आवेदन करने वाले लोगों के लिए यह आवश्यक है कि वे साक्षात्कार के दौरान मान्यता वक्तव्य पर हस्ताक्षर करें। इन आवेदकों से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि इन्होंने *उपरोक्त लिंक्स में दी गई जानकारी* को पढ़ा हो, क्योंकि साक्षात्कार के दौरान विषय-वस्तु का विवरण इन्हें दिया जाएगा। यह अलग तरह की प्रक्रिया ऑस्ट्रेलिया के बाहर से मानवतावादी वीज़ा आवेदकों द्वारा अक्सर सामना की जाने वाली कठिन परिस्थितियों की पहचान करती है।

यदि आपको ऑफशोर ह्यूमनटेरियन प्रोग्राम के अधीन स्वीकृति दी गई है, तो आपको ऑस्ट्रेलिया आने से पहले ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक उन्मुखीकरण कार्यक्रम (Australian Cultural Orientation Programme - AUSCO) में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यह प्रोग्राम ऑस्ट्रेलिया आने और यहाँ बसने से सम्बन्धित जानकारी प्रदान करता है और इसे एशिया, अफ्रीका और मध्य-पूर्व में विभिन्न स्थानों पर आयोजित किया जाता है।

बहुत कम प्रकार के वीज़ा ऐसे होते हैं जिनके लिए ऑस्ट्रेलियाई मान्यता वक्तव्य की अभिस्वीकृति करना ज़रूरी नहीं है। इस प्रकार के वीज़ा में निम्नलिखित वीज़ा शामिल हैं और ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- विज़िटर वीज़ा
- स्पेशल श्रेणी वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया में प्रवेश करने वाले न्यू ज़ीलैंड के नागरिक, इनमें रेज़ीडेन्ट रिटर्न वीज़ा धारक या इसके लिए आवेदन करने वाले नागरिक शामिल हैं।